

The Delhi Appropriation (No. 1) Bill, 2015

THE DELHI APPROPRIATION (NO. 1) BILL, 2015



**(As introduced in the Legislative Assembly of the
National Capital Territory of Delhi on 24th March, 2015)**

L.R. GARG
Secretary
Delhi Legislative Assembly
OLD Sectt. Delhi-110054

THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) BILL, 2015

A
BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2014-15.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2015.

issue of

Rs.351,98,16,000/- from
and out of the
Consolidated Fund of the
National Capital Territory
of Delhi for the financial
year 2014-2015.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees three hundred fifty one crore ninety eight lac sixteen thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2014-2015 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING					
Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
2	General Administration	Revenue	153850	550	154400
3	Administrative of Justice	Revenue	858660	00	858660
4	Finance	Revenue	400	00	400
5	Home	Revenue	81700	00	81700
6	Education	Revenue	2600	50	2650
7	Medical and Public Health	Revenue	1750	00	1750
8	Social Welfare	Revenue	2349000	00	2349000
		Capital	500	00	500
9	Industries	Revenue	400	8156	8556
10	Development	Revenue	800	00	800
		Capital	100	1300	1400
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2400	00	2400
		Capital	57300	00	57300
PD	Public Debt.	Revenue	00	100	100
		Capital	00	200	200
Total			3509460	10356	3519816



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No.1) Bill,2015 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub section (I) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the additional expenditure charged on the Consolidated Fund and the supplementary grants made by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2014-2015.

Delhi, March 24, 2015

(Manish Sisodia)
Finance Minister/Dy.Chief Minister



MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION


The Delhi Appropriation (No.1) Bill, 2015 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.



विधेयक संख्या (01) 2015

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2015

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा
में दिनांक 24 मार्च, 2015 को पुरःस्थापित किया गया)



एल. आर. गर्ग

सचिव

दिल्ली विधान सभा

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2015

वर्ष 2014-2015 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2015 है।

351,98,16,000/- रुपये का वर्ष 2014-2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन सौ इक्यावन करोड़ अठानवे लाख सोलह हजार रुपये की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2014-2015 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।



अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां					
अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	153850	550	154400
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	858660	00	858660
4	वित्त	राजस्व	400	00	400
5	गृह	राजस्व	81700	00	81700
6	शिक्षा	राजस्व	2600	50	2650
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व	1750	00	1750
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व	2349000	00	2349000
		पूंजी	500	00	500
9	उद्योग	राजस्व	400	8156	8556
10	विकास	राजस्व	800	00	800
		पूंजी	100	1300	1400
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	2400	00	2400
		पूंजी	57300	00	57300
	लोक ऋण	राजस्व	00	100	100
		पूंजी	00	200	200
योग			3509460	10356	3519816



उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30(1)(क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक घनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2015, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(मनीष सिसोदिया)
वित्तमंत्री/उप-मुख्य मंत्री

दिल्ली

24 मार्च, 2015



विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2015 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

